FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अराई मुकाम अराई (अजमेर)

• कालू पुत्र श्री स्व0 मोहन जाति ब्राहमण आयु 59 साल निवासी ग्राम मण्डावरिया तहसील अराई

--वादी

बनाम

• भवंरी देवी पत्नि हरिनारायण पुत्री स्व0 किशनगोपाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम मण्डावरिया तहसील अराई व अन्य।

--प्रतिवादीगण।

किस्म मुकदमा-- धारा 88,188,209 राज0 का0 अधि0 1955

नंबर 08/2025

ऑनलाइन नंबर 2025/..........

वकील वादी:-- योगेश शर्मा वकील प्रतिवादीगण........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/3/25	यह वाद पत्र वादी की ओर से वकील वादी श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 88,188,209 राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 28/3/25.... को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराई	
28/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.। वादी [illegible] । [illegible] पत्रावली दिनांक ...5/4/25... पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराई	
5/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। P.O. [illegible] [illegible] [illegible] 9/5/25	
9/5/25	पत्रावली पेश हुई आज ......बार किशनगढ़...... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/5/25....को पेश हो।	
16/5/25	पत्रावली पेश हुई आज ......बार [illegible]...... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 6/6/25....को पेश हो।	

21/1/26. पत्रावली पेश हुई। अधीत पक्षकारगण।
पेशकार पत्रावली प्रस्तुत। पेशकार पत्रावली
अवलोकन किया गया। वाद ...
... किया जाता है। निर्णय
पूर्वक ... शामिल पत्रावली
किया गया। पत्रावली पेशकार ...
नज़ारत में जमा हो।

न्यायालय उपखण्ड ...

यह दावा अन्तर्गत धा...
एडवोकेट के द्वारा पे...

क्र.सं.	
1.	क्या वाद पत्र ... अन्तर्गत है ?
2.	क्या वाद पत्र ... है ?
3.	क्या उचित ... वाद पत्र ... ?
4.	क्या ... हस्त...
5.	क्या ...
6.	
7.	

अन्तिम डिक्री

(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी)

(civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम अराई (अजमेर)

व इजलास श्रीमती नीतू मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 08/2025 उनवान कालू वगैरह बनाम भवंरी वगैरह

कालू पुत्र श्री स्व. मोहन जाति ब्राह्मण आयु करीबन 59 वर्ष निवासी ग्राम मण्डवारिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

वादी

बनाम

1. भंवरी देवी पत्नी हरिनारायण पुत्री स्व. किशनगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मण्डावरिया तहसील अरांई हाल निवासी ग्राम माताजी की बावडी, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राजस्थान
2. उप पंजीयक महोदय, अरांई, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार अरांई, जिला अजमेर राजस्थान

प्रतिवादीगण

•अन्तिम डिक्री वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,209 राज.का. अधि. 1955•

मुकदमा नम्बर 8/2025 उनवान कालू बनाम भंवरी देवी

उपस्थित वकील वादी

निर्णय दिनांक 21.1.2026

• आदेश •

वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद, दस्तावेजात, वकील वादी की बहस के उपरान्त तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 12 के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही के क्रम में वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,188,209 राज.का.अधि. 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण को ग्राम मण्डावरिया तहसील अराई में स्थित कृषि भूमि वर्तमान खसरा संख्या 18/1 रकबा 47 बीघा 6 बिस्वा भूमि जिसमें से 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि चाही सोयम व 29 बीघा 4 बिस्वा बंजर अव्वल व 4 बीघा 4 बिस्वा बारानी अलीफ व 11 बीघा 14 बिस्वा बारानी अव्वल है । जो वर्तमान के खसरा नं0 18 क्षेत्रफल 7.6531 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादी का हिस्सा पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने व घोषणात्मक डिकी आदेश दिये जाकर वाद को अन्तिम डिक्री किया जाकर तहसीलदार अरांई को आदेश दिया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

असप्त आज दिनांक 21.1.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

मुकदमा नम्बर 08/2025 उनवान कालू वगैरह बनाम भवंरी वगैरह

कालू पुत्र श्री स्व. मोहन जाति ब्राह्मण आयु करीबन 59 वर्ष निवासी ग्राम मण्डवारिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

वादी

बनाम

1. भंवरी देवी पत्नी हरिनारायण पुत्री स्व. किशनगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मण्डावरिया तहसील अरांई हाल निवासी ग्राम माताजी की बावडी, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राजस्थान

2. उप पंजीयक महोदय, अरांई, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार अरांई, जिला अजमेर राजस्थान

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

निर्णय दिनांक 21.1.2026

उपस्थित : वकील वादी व वादी स्वयं

संक्षिप्त में वाद का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से अधिवक्ता श्री योगश शर्मा ने उपस्थित होकर एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188,209 राज.का.अधि.1955 के तहत पेश कर जाहिर किया कि वादी के पिता मोहन व उनके भाई रामगोपाल पुत्रगण सुरजकरण व प्रतिवादी संख्या 1 के दादा रामजीवन पुत्र हरनाथ के संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि वाकै ग्राम मण्डावरिया, पटवार हल्का मण्डावरिया, भू.अ.नि.क्षेत्र आकोडिया, तहसील अरांई, जिला अजमेर के पुराने खसरा संख्या 18 में रकबा 57 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित हैं जिसमें 2 बीघा 4 बिस्वा चाही सोयम व 39 बीघा 4 बिस्वा बंजव अव्वल व 4 बीघा 4 बिस्वा बारानी अलीफ व 11 बीघा 14 बिस्वा चारानी अव्वल कुल 57 जीधा 6 विश्वा भूमि स्थित थी, जिसमे पादी के पिता मोहन व उनके भाई रामगोपाल का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 के दादा रामजीवन का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी में दर्ज था। प्रतिवादी संख्या 1 के दादा रामजीवन की मृत्यु के पश्चात् वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का नामान्तकरण संख्या 120 के जरिये प्रतिवादी संख्या 1 के पिता किशनगोपाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो गया।

प्रतिवादी संख्या 1 के पिता किशनगोपाल ने वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि वाकै ग्राम मण्डावरिया के खसरा संख्या 18 में स्थित भूमि 39 बीघा 4 बिस्वा बंजर प्रथम में से 10 बीघा भूमि को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 24.12.1975 को नारायण, सुखराम, श्योराम पुत्रगण हरजी जाट निवासी मण्डावरिया तहसील किशनगढ़ को वैचान कर विक्रय पत्र उपपंजीयक कार्यालय किशनगढ़ में दिनांक 09. 02.1976 को पंजीबद्ध करवा लिया। उपरोक्त विक्रय पत्र के आधार पर नारायण, सुखराम, श्योराम पुत्रगण हरजी जाट के नाम नामान्तरण संख्या दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर दिया तथा उपरोक्त भूमि के खसरा संख्या 18/2 रकबा 10 बीघा उपरोक्त क्रेतागण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता द्वारा दिनांक 24. 12.1975 को खसरा संख्या 18 में से अपने हिस्से की 10 बीघा जमीन वैचान करने के पश्चात् उपरोक्त शेष रही भूमि के खसरा संख्या 18/1 रकबा 47 बीघा 06 बिस्वा भूमि जिसमें से 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि चाही सोयम व 29 बीघा 4 बिस्वा बंजर अव्वल व 4 बीघा 4 बिस्वा बारानी अलीफ व 11 बीघा 14 बिस्वा बारानी अव्वल शेष रही, (जो वर्तमान में खसरा संख्या 18 क्षेत्रफल 7.6531 हैक्टेयर (किस्म चाही 3 (0.3558 हैक्टेयर), बंजर–1 (4.7246 हैक्टेयर) बा. अव्वल (1.8931 हैक्टेयर) एवं बारानी ए (0.6796 हैक्टेयर) राजस्व रिकार्ड में दर्ज है)। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 के पिता किशनगोपाल द्वारा उपरोक्त खसरे में से 10 बीघा भूमि अपने हिस्से के वैचान करने के पश्चात् भी राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्त खसरा संख्या की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता किशनगोपाल का 1/2 हिस्सा व रामगोपाल, मोहन पुत्रगण सुरजकरण का 1/2 हिस्सा राजस्व

रिकॉर्ड में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से अंकन कर दिया, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता किशनगोपाल द्वारा उपरोक्त खसरा संख्या 18 में बंजर प्रथम भूमि 39 बीघा 4 बिस्वा में से अपने हिस्से की 10 बीघा जमीन को बैचान कर दिया था। उपरोक्त बैचान के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के पिता किशनगोपाल का उपरोक्त हिस्से में से 10 बीघा भूमि कम होकर उसके हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद होना चाहिए था लेकिन राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की त्रुटि से राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्त खसरा संख्या 18/1 में शेष रही भूमि में किशनगोपाल का 1/2 हिस्सा व वादी के पिता मोहन व उसके भाई रामगोपाल का 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जो कानुनी रूप से गलत इन्द्राज किया गया जिसको दुरस्त करवाने का वादी को अधिकार हैं। इसलिए उपरोक्त वादं वास्ते खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती बाबत् माननीय न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है।प्रतिवादी संख्या 1 के पिता किशनगोपाल की मृत्यु होने के पश्चात् उसकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 307 के जरिये प्रश्नगत आराजी का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 1 व उसकी माता छोटी देवी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया जो गलत हैं। उपरोक्त नामान्तकरण वादी के हक अधिकारों के विरूद्ध होने से प्रारम्भ से ही अवैध शून्य व निष्प्रभावी है। उपरोक्त अवैध नामान्तकरण की आड़ में प्रतिवादी संख्या 1 की माता छोटी देवी ने अपने 1/4 हिस्से को उषा देवी को बैचान कर दिया उपरोक्त बैचान के आधार पर उषा देवी ने नामान्तकरण संख्या 470 दिनांक 20.09.2014 के जरिये अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवा लिया उपरोक्त नामान्तकरण वादी के हक अधिकारों में होने से प्रारम्भ से ही निष्प्रभावी व शून्य है जिसे निरस्त कराने का वादी को कानूनी अधिकार है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड ग्राम मण्डावरिया के खसरा संख्या 18 में स्थित रकबा 7.6531 हैक्टेयर में वादी का 373/1892 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा हैं जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज हो रखा है क्यों कि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता किशनगोपाल ने दिनांक 24.12.1975 को प्रश्नगत आराजी में से 10 बीघा जमीन का बैचान कर दिया गया था। उपरोक्त बैचान की गई जमीन प्रतिवादी संख्या 1 के पिता किशनगोपाल के हिस्से में से कम होकर राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान जमाबन्दी इन्द्राज होना था लेकिन राजस्व कर्मचारी व अधिकारियों ने त्रुटि पूर्ण इन्द्राज से वर्तमान जमाबन्दी राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज हो रखा हैं जिसे वादी दुरस्त करवाकर अपने नाम अपने हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने का अधिकारी हैं इसलिए उपरोक्त वाद वास्ते खातेदारी की उद्घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती हेतु माननीय न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ।वादी अपने हिस्से अनुसार प्रश्नगत आराजी पर काबिज काश्त है। पूर्व में भी वादी ने वर्ष 2015 में प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया था, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को उसकी हिस्सेशुदा भूमि पुनः दिये जाने के आश्वासन पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी सहमति से उक्त प्रकरण को विड्रो कर लिया था, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आज दिनांक तक भी वादी को उसकी हिस्सेशुदा भूमि प्रदत्त नहीं करने से तथा वादी से लडाई झगडा करने पर आमदा होने से यह वाद श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। दिनांक 15.02.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 ने अजनबी व्यक्तियों को लाकर वादी के हिस्से की जमीन बैचान करने की बात कही तब वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कहा कि उपरोक्त आराजी उनकी खातेदारी की भूमि है तब प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि प्रश्नगत आराजी में उसका 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में निहित हैं तब वादी ने कहा कि प्रश्नगत आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के पिता किशनगोपाल ने 10 बीघा जमीन पूर्व में ही बेचान कर दी लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को उसकी हिस्सेशुदा भूमि प्रदत्त करने से साफ इंकार कर दिया, तब से आज दिन तक वाद कारण सतत् जारी हैं। प्रतिवादी संख्या 02 उप पंजीयक अरांई है जिसके कार्यालय में वादी के हक अधिकारों के विपरित उसके हक अधिकारों की हिस्सेशुदा कृषि भूमि के विक्रय पत्र, उपहार प्रलेख, अन्तरण प्रलेख का पंजीयन हो सकता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 उपरोक्त भूमि को बेचान, उपहार, रहन व अन्तरण करने पर आमदा है जिसके लिये प्रतिवादी संख्या 02 को भी पाबन्द किया जाना आवश्यक है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 02 को आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। जिसके लिये वाद आवश्यक प्रकृक्ति का होने से धारा 80 (2) जाब्ता दीवानी का लाभ लेने हेतु अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 03 भू–धारक तहसीलदार अरांई है जो राज्य सरकार का प्रतिनिधि होने से एवं राजस्व रिकार्ड के संधारण हेतु आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। जिसके लिये वाद आवश्यक प्रकृति का होने से धारा 80 (2) जाब्ता दीवानी का लाभ लेने हेतु अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। वादी का उपरोक्त वाद खातेदारी उदघोषणा व इन्द्राज दुरस्ती का है वादी प्रश्नगत आराजी में इन्द्राज दुरस्ती करवाने का कानुनी अधिकारी है। वाद अधिन कृषि भूमि ग्राम मण्डावरिया तहसील अरांई में स्थित है जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में हैं जिस पर सुनवाई करने का श्रीमान् को अधिकार है। ग्राम मण्डावरिया के खसरा संख्या 18/1 रकबा 47 बीघा 06 बिस्वा भूमि जिसमें से 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि चाही सोयम व 29 बीघा 4 बिस्वा बंजर अव्वल व 4 बीघा 4 बिस्वा बारानी अलीफ व 11 बीघा 14 बिस्वा बारानी अव्वल है (जो वर्तमान में खसरा संख्या 18 क्षेत्रफल 7.6531 हैक्टेयर भूमि स्थित है ।

वाद को दिनांक 18.3.2025 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 8/2025 पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगणों नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध सम्मन जारी किये गये जो तामिलशुदा प्राप्त होने के बाद उपस्थित नही होने से प्रतिवादी संख्या1 के विरूद्ध दिनांक 6.8.2025 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा दिनांक 20.8.2025 को वादी की साक्ष्य प्रस्तुत की जाकर दस्तावेज प्रदर्श करवाए गए । तथा दिनांक 5.12.2025 को पेरोकार सरकार की ओर से जवाब प्राप्त हुआ । जो शामिल पत्रावली किया गया । पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार ग्राम मण्डावरिया की एकीकरण जमाबन्दी के खाता स.95 में खसरा सं. 18 रकबा 57 बीघा 06 बिस्वा भूमि रामजीवन बल्द हरनाथ हिस्सा 1/2 रामगोपाल, मोहन गोपी पुत्रगण सूरजकरण हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि में से संलग्न विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 24/12/1975 को रामजीवन पुत्र हरनाथ के वारिस किशनगोपाल पुत्र पुत्र रामजीवन ने अपने पिता रामजीवन पुत्र हरनाथ के नाम दर्ज उक्त वादअधीन भूमि में से 10 बीघा भूमि नारायण सुखराम श्योराम पुत्रगण हरजी जाति जाट सा. देह को बैचान कर दी गयी। उक्त रजि. विक्रय पत्र का जमाबन्दी में अमल होने के कारण वर्किंग जमाबन्दी खाता सं.93 बसरा स.18 रकबा 47 बीघा 06 बीस्वा भूमि पर रामजीवण पुत्र हरनाथ हिस्सा 373/946 रामगोपाल, मोहन गोपी पुत्रगण सुरजकरण हिस्सा 573/946 जाति जाति ब्राहम्ण सा. देह खातेदार दर्ज होने के स्थान पर सहवन से रामजीवन वल्द हरनाथ हिस्सा 1/2 रामगोपाल मोहन पुत्रगण सूरजकरण हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण सा. देह खालेदार दर्ज हो गया। उक्त इन्द्राज के पश्चात् बाद अधीन भूमि खसरा स. 18/1 रकबा 47 बीघा 06 बिस्वा पर पर नामान्तकरण सं. 120 विरासत से रामजीवण पुत्र हरनाथ हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण के स्थान पर किशनगोपाल पुत्र रामजीवण हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण राजस्य जमाबन्दी में दर्ज किया गया। तत्पश्चात् नामान्तकरण सं. 307 विरासत से किशनगौपाल पुत्र रामजीवण हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण के स्थान पर छोटी देवी पनि किशनगोपाल, भंवरी देवी पुत्री किशनगोपाल हिस्सा 1/2 ब. हि. ब. जाति ब्राह्मण राजस्व जमाबन्दी में दर्ज किया गया। नामान्तकरण स. 420, 470 बैचान से वाद अधीन भूमि खसरा सं. 18/1 रकबा 47 बीघा 06 बीस्वा में से छोटी देवी पत्रि किशनगोपाल हिस्सा 1/4 जाति ब्राह्मण ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा उषा देवी पनि तेजुराम तेजुराम जाति ब्राह्मण सा. देह को वैचान कर दिया। नामान्तकरण सं.98 दिनांक 22/05/1992 विरासत मोहन पुत्र सुरजकरण हिस्सा 1/4 जाति ब्राहम्ण के स्थान पर केसर पनि मोहन कालु तेजू पुत्रगण मोहन जाति ब्राह्मण राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये गये। नामान्तकरण स. 181 दिनांक 20/04/2002 बैचान से वाद अधीन भूमि खसरा स. 18/1 रकबा 47 बीघा 06 बीस्वा में से रामगोपाल पुत्र सूरजकरण हिस्सा 1/4 केसर पत्नि मोहन कालु तेजू पुत्रगण मोहन हिस्सा 1/4 जाति ब्राह्मण सा. देह ने अपना 100/946 हिस्सा रामाकिशन पुत्र छोटू जाति जाट सा. देह को बैचान कर दिया। तत्पश्चात केसर पनि मोहन एवं रामगोपाल पुत्र सूरजकरण की विरासत कालू, तेजु पुत्रगण मोहन के पक्ष में होने एवं उपरोक्त नामान्तकरण स. 120, 307, 470, 98, 181 के अमल होने से वर्तमान जमाबन्दी जमाबन्दी के खाता सं.07 खसरा सं. 18 पुराना खसरा स. 18/1 रकबा 7.6531 हैक्टयर किस्म चाही 3 (0.3558), बंजर 1 (4.7246), बा. अव्वल (1.8931), बारानी ए (0.6796) में उषादेवी पनि तेजूराम हिस्सा 1/4 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा दादिया तेजूराम पुत्र मोहनलाल हिस्सा 373/1892 जाति ब्राह्मण राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा अरोंई रामकिशन पुत्र छोटू हिस्सा 50/473 जाति जाट राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा दादिया, कालू पुत्र मोहन हिस्सा 373/1892 भँवरीदेवी पुत्री किशनगोपाल हिस्सा 1/4 जाति ब्राहम्ण सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है।

पत्रावली के दस्तावेजों का अवलोकन व मनन किया गया था तथा पेराकार सरकार तहसीलदार अराई के जवाब का अवलोकन किया गया तथा वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई । **वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,188,209 राज. का.अधि. 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा वादी को ग्राम मण्डावरिया तहसील अराई में स्थित कृषि भूमि वर्तमान खसरा संख्या 18/1 रकबा 47 बीघा 6 बिस्वा भूमि जिसमें से 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि चाही सोयम व 29 बीघा 4 बिस्वा बंजर अव्वल व 4 बीघा 4 बिस्वा बारानी अलीफ व 11 बीघा 14 बिस्वा बारानी अव्वल है । जो वर्तमान के खसरा नं0 18 क्षेत्रफल 7.6531 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादी का हिस्सा पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने व घोषणात्मक डिक्री आदेश दिये जाकर वाद को अन्तिम डिक्री किया जाकर तहसीलदार अरांई को आदेश दिया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार अराई की मौका रिपोर्ट उक्त आदेश का भाग रहेगी ।**

आदेश आज दिनांक 21/1/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर व मुहर के खुले न्यायालय में सुनाया गया। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दफतर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)